86/24

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/9/25	पत्रावली पेश हुई। पक्ष वादी द्वारा O-7, R-7 का जवाब पेश किया गया। कल वास्ते बहस है। 1/10/25 को पेश हो।
	1/10/25	पत्रावली पेश हुई। ~~बहीन वादीगण प्रतिवादीगण में~~ उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 8/10/25 को पेश हो। बाद सब्त आदेश स्थगित किया गया।
	8/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्ष उभ. के अतः वास्ते बहस O-7, R-7 का जवाब है। पत्रावली 15/10/25 को पेश हो।
	15/10/25	पत्रावली पेश हुई। पक्ष उभ. के, वकील वादी द्वारा O-7, R-7 का जा. पत्र बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस O-7, R-7 के 12/11/25 को पेश हो।
	12/11/25	पत्रावली पेश। श्री वहा० उ.प. वास्ते बहस प्रा० पत्र हेतु दिनांक 21/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेन्वाल
	21/11/25	पत्रावली पेश हुई। ~~पक्ष~~ कालिर बहस के। आज न्यायालय में पक्ष / पक्ष अधिवक्ता के लिए तीन-2 बार आवाज लगाई गयी। ~~बावजूद नहीं कालिर नहीं हुआ~~ (तीन बजे तक) ~~अतः O-9, R-3 CPC में प्रावधानों के तहत अपम. पक्ष की अपम. कालिरी से खारिज फरमायी जाती है। पत्रावली के सब्त शुमार बाद पत्तर दाखिल हो दर्ज नम्बर सेकम हो।~~
	21/11/25	पत्रावली पेश हुई। मुतबाक O-9, R-8 CPC के प्रावधान के तहत खारिज हो चुका है। अतः T.I. प्रा० पत्र ऑफिसली होने पर खारिज फरमाया जाता है। पत्रावली रूटल शुमार होकर दफ्तर दाखिल की जावे। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेन्वाल